संख्या-36/2018/550/बावन-1-2018-1(119)/13

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 2018

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 73वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 12.09.2013 में वर्ष 2017-18 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-संत कबीर नगर के विकास खण्ड-सेमरियांव में 15, विकास खण्ड-बघौली में 11 एवं विकास खण्ड-सोठा/सांठा में 39 केन्द्रों अर्थात कुल 65 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(33)/2013 पी0पी0, दिनांक 27.09.2013 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-जी0आई0-447/52-1-2013-1(119)/13, दिनांक 04 जनवरी, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-संत कबीर नगर के उक्त विकास खण्डों में स्वीकृत 65 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रू0 4.50 की दर से कुल रू0 292.50 लाख के सापेक्ष रू0 146.25 लाख कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(33)/2013 पी0पी0-I, दिनांक 09.06.2017 से उक्त विकास खण्डों में 65 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 292.50 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 146.25 लाख (रूपये एक करोड़ छियालिस लाख पच्चीस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(केन्द्रांश-100, राज्यांश-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	संत कबीर नगर	वि0ख0-सेमरियांव में आंगनवाड़ी केन्द्र	15	4.50	67.50	0.00	33.75	33.75	0.00	33.75
2	तदैव	वि0ख0-बघौली में आंगनवाड़ी केन्द्र	11	4.50	49.50	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75

shasanadesh.up.nic.in

3	तदैव	वि0ख0-सोठा/सांठा में आंगनवाड़ी केन्द्र	39	4.50	175.50	0.00	87.75	87.75	0.00	87.75
		योग=	65		292.50	0.00	146.25	146.25	0.00	146.25

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित धनराशि से 06 माह में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आंगनबाडी केन्द्रों की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा निर्धारित है।

7- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

8- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

9- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

14- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

15- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0+रा0)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

6- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(12)/(छ) के क्रम में भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

Shasanadesh.up.nic.in

संख्या- (1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त एवं समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवगतार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in